

उप महाप्रबंधक (तकनीकी) का कार्यालय
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-3
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाजीपुर
(बिहार सरकार का एक उपक्रम)


पत्रांक: 51 / हाजीपुर

दिनांक: 29/11/15

पुर्ननिलामी सूचना

मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना के पत्रांक सं0-BSRDC Ltd-668/2011(Part-I)/2013-1169 पटना दिनांक 19.05.2014 द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में BSRDC Ltd. से संबंधित कार्यालय में उपयोग किए गए फर्नीचर एवं अन्य सामग्री की निलामी जहाँ है जैसा है के आधार पर परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-3, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, हाजीपुर में की जायेगी।

- (1) निलामी सूचना आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम- उपमहाप्रबंधक (तक0)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-3,
BSRDCL, हाजीपुर
- (2) निलामी की निर्धारित तिथि एवं समय- 18.02.2015 समय 3:00 PM
- (3) निलामी किए जाने वाले सामग्रियों की सूची एवं संग्रहन स्थल का विवरण कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
- (4) निलामी में भाग लेने हेतु PAN Card एवं पहचान पत्र की छायाप्रति उपास्थापित करनी होगी।
- (5) निलामी किए जाने वाले सामग्रियों के लिए न्यूनतम बोली रूपया 4,11,249/- होगी।
- (6) निलामी में भाग लेने से पूर्व व्यवहृत सामग्रियों की स्थिति संग्रहित स्थान पर देखकर संतुष्ट हो लेंगे।
- (7) निलामी बोलीकर्ता को जमानत की राशि रूपया 1,02,813/- का Bank Draft के रूप में उपमहाप्रबंधक (तक0) BSRDCL, हाजीपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।
- (8) यह निलामी उच्चतम डाक बोलनेवाले को दी जायेगी। किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम डाक की राशि से कम की डाक बोली स्वीकार नहीं होगी।
- (9) सफलीभूत व्यक्ति/फर्म के जमानत की राशि को निलामी की राशि के रूप में जमा कर लिया जायेगा तथा अन्य डाक बोलीकर्ता/फर्म का जमानत के रूप में जमा राशि वांछित प्रक्रिया के उपरान्त लौटा दी जायेगी।
- (10) सफलीभूत व्यक्ति/फर्म को डाक बोली की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो वांछित प्रक्रिया के उपरांत 15 दिनों के अन्दर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (11) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।


29/11/15
(अजय कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक (तक0)